प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 08.03.2026

थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

🔷 **थाना कन्दवा व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण।**

🔷 **हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

🔷 **हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल व डीवीआर किया गया बरामद।**

चन्दौली- अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (आई. पी. एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी स्वाट/ सर्विलांस टीम, निरी0 राम जनम यादव, थानाध्यक्ष कन्दवा राजीव मल्ल मय टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 07.03.2026 को समय लगभग 17.22 बजे मु0अ0सं0 18/26 धारा 103(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र स्व0 अजीत सिंह निवासी ग्राम जलालपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक विशाल सिंह के हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल व एक डी.वी.आर को बरामद किया गया। पुलिस द्वारा की गई गहन विवेचना व पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का सगे भाई द्वारा ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 05.03.2026 को थाना कन्दवा क्षेत्र में हुई हत्या की घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कन्दवा पर मु0अ0सं0-18/2026 धारा 103(1) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन, मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस की सहायता से घटना में शामिल अभियुक्त की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण :-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त दो भाई थे अभियुक्त बडा भाई तथा मृतक उसका छोटा भाई था, पहले घर के हर कार्य में उसकी राय ली जाती थी। कुछ समय पहले अभियुक्त हत्या के अभियोग में जेल गया था, तब से उसका घर में मान सम्मान खत्म हो गया था। लगभग चार माह पहले घर की एक जमीन 75.00 लाख रुपये में बेचे जाने के उपरान्त जो भी धनराशि अभियुक्त को हिस्सेदारी में मिली थी वह उसने खर्च कर लिया और अन्य आवश्यकता पर छोटे भाई से मांगने पर छोटे भाई द्वारा लगातार बेइज्जत व जलील किया जा रहा था इसी बात से आहत होकर अभियुक्त द्वारा अपने छोटे भाई को मारने की योजना बनायी जा रही थी। यदि वह मर जाता तो सारी सम्पति व मृतक द्वारा लगभग 01 माह पहले करायी गयी 25.00 लाख की एफ.डी भी अभियुक्त की हो जायेगी। अभियुक्त ने होली के दिन व अगले दिन 05.03.2026 की सुबह से बहुत शराब पी लिया था और तभी मृतक द्वारा घर में काम कर रहे नौकरो के सामने अभियुक्त को बहुत बेईज्जत किया गया। अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में दिनाँक 05.03.2026 को समय लगभग 1.30 बजे के करीब घर के हाल में चौकी पर सो रहे अपने छोटे भाई के सिर में पीछे गोली मार दिया गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। घटना के तुरन्त बाद अभियुक्त द्वारा सीसीटीवी के डी.वी.आर व पिस्टल को घर के अंदर भूसे में छिपा दिया गया। बाद मे दिनाँक 06.03.2026 को सुबह लगभग 04.00 से 04.30 बजे के बीच मौका पाकर मोटर साईकिल से ले जाकर नहर किनारे तालाब में फेक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1.विवेक सिंह पुत्र स्व0 अजीत सिंह निवासी ग्राम जलालपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

1-एक पिस्टल

2-एक डी.वी.आर।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 208/25 धारा 103(1) बी.एन.एस थाना जमानिया जनपद गाजीपुर

मु0अ0सं0- 209/25 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानिया जनपद गाजीपुर

मु0अ0सं0- 18/2026 धारा–103(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

दिनाँक 07.03.2026 को समय 17.22 बजे अभियुक्त के घर ग्राम जलालपुर से।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना कन्दवा पुलिस बल-

उ0नि0 राजीव मल्ल, थानाध्यक्ष कन्दवा जनपद चन्दौली।

चौकी प्रभारी विजय कुमार राय थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

हे0का0 भरत सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

का0 सविनय कुमार सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

स्वाट व सर्विलांस टीम का विवरण-

निरी0 राम जनम यादव प्रभारी एसओजी जनपद चन्दौली।

हे0का0 अरविन्द कुमार यादव एसओजी टीम

हे0का0 राणाप्रताप सिंह एसओजी टीम

हे0का0 रामानन्द यादव एसओजी टीम

हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह एसओजी टीम

हे0का0 आशुतोष सिंह एसओजी टीम

हे0का0 आनन्द सिंह एसओजी टीम

हे0का0 प्रेमप्रकाश यादव सर्विलांस टीम

हे0का0 मन्टू सिंह सर्विलांस टीम

का0 अजीत सिंह सर्विलांस टीम

का0 नीरज कुमार मिश्रा सर्विलांस टीम

का0 मनीष कुमार सर्विलांस टीम

का0 संदीप कुमार सर्विलांस टीम।